राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में

2024 का अधिनियम संख्यांक 19

[दि कांस्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राईब्स) आर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

ओडिशा राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अनुसूचित जातियां आदेश'' से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है ; सं.आ.19

(ख) ''अनुसूचित जनजातियां आदेश'' से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है ; सं.आ.22

5

अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन ।

3. अनुसूचित जातियां आदेश का पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और उस सीमा तक संशोधन किया जाता है ।

अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन ।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और उस सीमा तक संशोधन किया जाता है ।

पहली अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 13 - ओडिशा में, प्रविष्टि 87 और प्रविष्टि 88 का लोप किया जाएगा । सं.आ. 19

दूसरी अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 12 - उड़ीसा में,— सं.आ. 22

(क) ''भाग 12 - उड़ीसा'', के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''भाग 12 - ओडिशा'';

(ख) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

''6. भुइया, भूयां, पाठडि भूयां, पाठडि भूयां'';

(ग) प्रविष्टि 8 में, ''तमारिया भूमिज'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''तामडिया भूमिज, तामुडिया भूमिज, तामुंडिया भूमिज, तामुलीया भूमिज, तामाडिया भूमिज, तामाडिया, तामारिआ, तामुडिया'';

(घ) प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

''9. भुन्जिआ, चुकटिआ भुन्जिआ'';

(ङ) प्रविष्टि 13 में, ''बांडा परजा'' के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'', बंडा परजा, बंडा परजा, बंडा, बंडा, बंडा'';

(च) प्रविष्टि 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

''17. धारूआ, धुरूबा, धुर्वा, दुरुआ, धुरूआ, धुरवा'' ;

(छ) प्रविष्टि 28 में, ''कनवार'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'', कठर, कुँवर, कुँवर, कुँवर, कंवर, कुँवर, कअंर, कअंर, कुँवर'';

(ज) प्रविष्टि 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

''31. खोंड, कोंड, कन्ध, कन्ध कुम्भार, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा, कोंध, कुई, कुई (कंध), बूढा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कोंध, मलुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड'';

(झ) प्रविष्टि 47 में, ''मानकिडी'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'', मांकिडिआ'';

(ञ) प्रविष्टि 53 में, ''उरांव'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'', उराम, ओराम, उराओं, धांगर, ओरान मुदी'';

(ट) प्रविष्टि 55 में, ''सोलिया परोजा'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''', बारेंग झोडिआ परजा, पेंग परजा, पेंगु परजा, परजा, सेलिआ परजा'';

(ठ) प्रविष्टि 57 में "राजुआर" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''', राजुआल, राजुआड'';

(ड) प्रविष्टि 59 में, ''बेसु साओरा'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''', सअर'';

(ढ) प्रविष्टि 62 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''63. (अविभाजित कोरापुट जिले में, जिसके अन्तर्गत कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और मलकानगिरि जिले आते हैं) मुका दोरा, मुका दोरा, नुका दोरा, नुका दोरा ।

64. कोंडा रेड्डि, कोंडा रेड्डि ।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) में ''ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है'' के रूप में परिभाषित किया गया है ।

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में ''ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है'' के रूप में परिभाषित किया गया है ।

2. संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 निम्नलिखित उपबंध करते हैं :—

341. अनुसूचित जातियां—(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

342. अनुसूचित जनजातियां—(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

3. संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के उपबंधों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची वर्ष 1950 के दौरान

विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में क्रमश: संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा अधिसूचित की गई थी । इन सूचियों को समय-समय पर उपांतरित किया गया । ओडिशा राज्य की अनसूचित जनजातियों की सूची को, संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 10) द्वारा उपांतरित किया गया है ।

4. ओडिशा राज्य की सरकार ने, ओडिशा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में उनके अपने नामों में चार विशिष्टतया दुर्बल जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को सम्मिलित करने के लिए निम्नानुसार सिफारिश की है :—

(i) क्र.सं. 6 पर, भुइयां और भूयां के समानार्थी के रूप में पाउडि भूयां, पाउडि भूयां ;

(ii) क्र.सं. 9 पर, भूजीआ के समानार्थी के रूप में चुकटिआ भुन्जिआ ;

(iii) क्र.सं. 13 पर अनुसूचित जनजाति ''बोंडो पोरजा, बोंडपरजा, बांडा परजा'' के अधीन उप-प्रविष्टि के रूप में, बंडा ; और

(iv) क्र.सं. 47 पर अनुसूचित जनजाति ''मांकिरडिआ के समानार्थी के रूप में मांककिडिया ।

5. ओडिशा की राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध दो समुदायों के नामों अर्थात्, (i) क्र.सं. 87 पर, टमाडिया और (ii) क्र.सं. 88 पर, टमुडिया का अनुसूचित जातियों की सूची से लोप करने तथा ओडिशा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नानुसार उक्त समुदायों के नामों को सम्मिलित करने की भी सिफारिश की है :—

''क्र.सं. 8 पर मुख्य प्रविष्टि ''भमिज'' के अधीन उप-प्रविष्टि के रूप में, ''तामाडिया, तामारिआ, तामुडिया, तामडिया भूमिज, तामुडिया भूमिज, तामुंडिया भूमिज, तामुलीया भूमिज, तामाडिया भूमिज,''

6. ओडिशा की राज्य सरकार ने उन समुदायों को भी निम्नानुसार सम्मिलित करने की सिफारिश की है, जो अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूची में समुदायों की ध्वन्यात्मक विविधता रखते हैं :—

(i) क्र.सं. 13 पर, अनुसूचित जनजाति ''बोंडो पोरजा, बोंडपरजा, बांडा परजा'' के अधीन उप-प्रविष्टि के रूप में, बंडा परजा, बंडा परजा, बंडा, बंडा ;

(ii) क्र.सं. 17 पर, धारूआ, धुरबा, धुर्वा के उप समुदाय के रूप में, दुरुआ, धुरूआ, धुरवा ;

(iii) क्र.सं. 28 पर, अनुसूचित जनजाति ''कावार, कनवार'' के समानार्थी के रूप में, कउर, कुनवार, कुंवर, कुंवर, कंवर, कुंवर, कअंर, कअंर, कुंवर'';

(iv) क्र.सं. 31 पर, कंध अनुसूचित जनजाति के उप समुदाय के रूप में, अनुसूचित जनजाति खोंड और कंध कुम्भार के अधीन एक नई उप-प्रविष्टि के रूप में कुई (कंध) को सम्मिलित करना ;

(v) क्र.सं. 53 पर, ओरांव के समानार्थी के रूप में, उराम, ओराम, उराओं, धांगर, ओरान मुदी समुदाय ;

(vi) क्र.सं. 55 पर, अनुसूचित जनजाति परोजा के समानार्थी के रूप में, बारेंग झोडिआ परजा, पेंग परजा, पेंगु परजा, परजा, सेलिआ परजा ;

(vii) क्र.सं. 57 पर, अनुसूचित जनजाति राजुआर के समानार्थी के रूप में, राजुआल, राजुआड ;

(viii) क्र.सं. 59 पर, सवोरा, सवर, सौरा, सहरा आदि के अधीन समानार्थी के रूप में, सअर ।

7. ओडिशा राज्य सरकार ने निम्नानुसार, नई प्रविष्टि के रूप में समुदायों को सम्मिलित करने के लिए भी सिफारिश की है :—

(i) क्र.सं. 63 पर क्षेत्र निर्बंधन के साथ (अविभाजित कोरापुट जिले में, जिसके अंतर्गत कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और मलकानगिरि जिले हैं) मुका दोरा, मुका दोरा, नुका दोरा, नुका दोरा ;

(ii) क्र.सं. 64 पर, कोंडा रेड्डि, कोंडा रेड्डि ।

8. ओडिशा राज्य की सरकार की सिफारिश के आधार पर और भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करके ओडिशा राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को उपांतरित करने का प्रस्ताव है ।

9. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 13-ओडिशा तथा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 12-उड़ीसा का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है,—

(अ) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 13-ओडिशा में, प्रविष्टि 87 और प्रविष्टि 88 का लोप किया जाएगा ।

(आ)(क) ''भाग 12-उड़ीसा'' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— ''भाग 12 - ओडिशा'';

(ख) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

''6. भुइया, भूयां, पाउडि भूयां, पाउडि भूयां'';

(ग) प्रविष्टि 8 में, ''तमारिया भूमिज'' के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''तामडिया भूमिज, तामुडिया भूमिज, तामुंडिया भूमिज, तामुलीया भूमिज, तामाडिया भूमिज, तामाडिया, तमारिया, तामुडिया'' ।

(घ) प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

''9. भुन्जिआ, चुकटिआ भुन्जिआ'';

(ङ) प्रविष्टि 13 में, ''बांडा परजा'' के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'', बांडा परजा, बोंडा परजा, बोंडो, बोंडा, बांडा'';

(च) प्रविष्टि 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

''17. धारूआ, धुरूबा, धुर्वा, दुरुआ, धुरूआ, धुरवा'' ;

(छ) प्रविष्टि 28 में, ''कनवार'' के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'', कउर, कुंवर, कुंवर, कुंवर, कंवर, कंवर, कुंवर, कअंर, कुंवर'';

(ज) प्रविष्टि 31 में, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

''31. खोंड, कोंड, कन्ध, कन्ध कुम्भार, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा, कोंध, कुई, कुई (कन्ध), बूढा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कोंध, मलुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड'';

(झ) प्रविष्टि 47 में, ''मानकिडी'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''मांकिडिआ'';

(ञ) प्रविष्टि 53 में, ''उरांव'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''उराम, ओराम, उराओं, धांगर, ओरान मुदी'';

(ट) प्रविष्टि 55 में, ''सोलिया परोजा'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''बारेंग झोडिआ परजा, पेंग परजा, पेंगु परजा, परजा, सेलिआ परजा'';

(ठ) प्रविष्टि 57 में, ''राजुआर'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''राजुआल, राजुआड'';

(ड) प्रविष्टि 59 में, ''बेसु साओरा'' के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''सअर'';

(ढ) प्रविष्टि 62 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''63. (अविभाजित कोरापुट जिले में, जिसके अन्तर्गत कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और मलकानगिरि जिले हैं) मुका दोरा, मुका दोरा, नुका दोरा, नुका दोरा ।

64. कोंडा रेड्डि, कोंडा रेड्डि''

10. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
2 फरवरी, 2024

अर्जुन मुंडा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, ओडिशा राज्य में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करके, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों का संशोधन करने के लिए है । ओडिशा राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आशयित चल रही स्कीमों के अधीन विधेयक में प्रस्तावित समुदायों से आने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले फायदों के कारण कुछ अतिरिक्त आवर्ती और अनावर्ती व्यय भार डाल सकता है ।

2. इस मद्दे उपगत किए जाने वाले संभावित अतिरिक्त व्यय को इस प्रक्रम पर प्राक्कलित करना संभव नहीं है । तथापि, व्यय, यदि कोई हो, सरकार के अनुमोदित बजटीय परिव्यय में समायोजित किया जाएगा ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं.आ. 19) से उद्धरण

* * * * * *

भाग 13--ओडिशा

* * * * * *

87. टमाडिया

88. टमुडिया

* * * * * *

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 (सं.आ. 22) से उद्धरण

* * * * * *

भाग 12---उड़ीसा

* * * * * *

6. भुइयां, भूयां

* * * * * *

8. भूमिज तेली भूमिज, हलादी पोखड़िया भूमिज, हलादी पोखड़िया भूमिजा, देसी भूमिज, देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज

9. भूजीआ

* * * * * *

13. बोंडो पोरजा, बोंडापरजा, बांडा परजा

* * * * * *

17. धारूआ, धुरूबा, धुर्वा

* * * * * *

28. कावार, कनवार

* * * * * *

31. खोंड, कोंड, कन्ध, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा, कोंध, कुई, बूढा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कोंध, मलुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड

* * * * * *

47. मांकिरडिआ, मांकरिया, मांनकिडी

* * * * * *

53. ओरांव, धांगर, उरांव

* * * * * *

55. परोजा, परजा, बोडो परोजा, बरोंग झोडिया परोजा, छेलिया परोजा, झोडिया

परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोडिया परोजा, सेनो परोजा, सोलिया परोजा

* * * * * *

57. राजुआर

* * * * * *

59. सवोरा, सवर, सौरा, सहरा आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीम्मा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जारा सावर, जादू साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, कम्पा सौरा, कापो साओरा, किंदल साओरा, कुंबी कंचेर साओरा, कालापिठिआ साओरा, किराट साओरा, लंजिया साओरा, लाम्बा लंजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लरिया सावर, मालिया साओरा, मल्ला साओरा, ठड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पात्रो साओरा, बेसु साओरा

* * * * * *